संख्या- 101 /2015/[illegible]/69-1 15-11(एस0सी0पी0)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2015

विषय **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-708/02/10/क्र/विविध/12-13, दिनांक 25 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ की न0निगम अलीगढ़ व न0पं0 हरदुआगंज की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 12 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 478.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित**, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 239.315 लाख (रूपये दो करोड़ उन्तालिस लाख इकतीस हजार पॉच सौ मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमश:.........2

5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/ योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

क्रमशः.........3

10. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015** तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- 701 /2015/ 1552-(1)/69-1-15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अलीगढ़।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 7?1 /2015/1552 /69-1-2015-11(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक ?? जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	अलीगढ़	न0निगम अलीगढ़	वार्ड सं0-03 लच्छिमपुर में लीलावती के घर से ईश्वरी के घर तक, ईश्वरी के घर से हेमन्त कुमार के घर तक, भूरा के घर से रेशमपाल के घर तक एवं रमेश चन्द्र के घर से सूरजपाल के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.97	19.985
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 लच्छिमपुर में विमला मार्केट से नेत्रपाल सिंह के घर तक एवं पप्पू सीमेन्ट से सुरेन्द्र सिंह के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.01	19.505
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 लच्छिमपुर में नेत्रपाल सिंह के घर से महाऋषि इण्टर कालेज तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	38.03	19.015
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 लच्छिमपुर में डा0 अशोक कुमार के घर से इण्टरलाकिंग रोड एवं इन्द्रपाल के घर से मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.18	19.59
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 लच्छिमपुर में हरपाल सिंह के घर से प्रेमचन्द्र के घर तक, अशोक कुमार के घर श्रीमसीन के घर तक, विनोद के घर से मुकेश के घर तक एवं इन्द्रपाल वाली गली से रामबाबू के घर होते हुये नरेन्द्र के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	37.34	18.67
6.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-36 मो0 गोमती नगर सराय हरनारायण में महेश चन्द्र के घर से रविन्द्र के घर तक, महेश चन्द्र के घर से सोनपाल सिंह के घर तक एवं लिंक गली तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.87	19.935
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-36 मो0 साकेत बिहार माहौर बस्ती सराय हरनारायण में हरपाल सिंह के घर से कालीचरण के घर तक, हरीओम के घर से मन्दिर तक, बनवारी लाल के घर से घनश्याम के घर तक, नन्द किशोर से अनूप आचार्य जी के घर तक, मदन लाल के घर से राम रतन के घर तक एवं तोताराम वाली गली तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	46.61	23.305
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-11 मो0 चूहरपुर में वीरेन्द्र शर्मा के घर से चौधरी साहब सिंह के घर तक, योगेश शर्मा के घर से ओमप्रकाश के घर तक एवं सत्यप्रकाश के घर से ठाकुर शेरपाल सिंह के	35.45	17.725

http://shasanadesh.up.nic.in

			घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।		
9	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-11 मो0 नूरपुर में के0बी0 टेलर्स से किशन लाल शर्मा के घर तक एवं किशन लाल शर्मा के घर से [illegible] तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.44	19.72
10	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-11 मो0 नूरपुर में हनुमान धर्मशाला से के0बी0 टेलर्स तक एवं के0बी0टेलर्स से अंजू देवी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	39.19	19.595
11	तदैव	न0पं0 हरदुआगंज	मो0 सिद्धनगर में मदन वाल्मीकि से राजेश कुमार के घर तक, रमेश के घर से गंगा प्रसाद के घर तक, दीनेश वाली गली में एवं रामेश्वर रोड से देवेन्द्र सिंह के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	45.56	22.78
12	तदैव	तदैव	मो0 भीमनगर में विष्णु यादव के घर से अरविन्द यादव के घर तक, महेश चन्द्र के घर से किरनपाल के घर तक, रंजीत वाली गली से दुर्जन सिंह के घर होते हुये सैयद मजार तक, गुलाब सिंह के घर से मुन्ना लाल के घर तक, बाँके लाल के घर से सुरेश चन्द के घर तक, रूपाली राम के घर से मुन्ना वाल्मीकि के घर तक एवं अमर के घर से संजू के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	38.98	19.49
	योग			478.63	239.315

(रूपये दो करोड़ उनतालिस लाख इकतिस हजार पाँच सौ मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in